

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयासों का अध्ययन

डॉ पूनम लता मिड्डा, सहयोगी व्यख्याता (शिक्षा), श्री विनायक महाविद्यालय, श्री विजयनगर (राजस्थान)

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का इतिहास भी है। भारतीय समाज के विकास एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात् शिक्षा आयोगों द्वारा दी गई अनुशासकों ने शिक्षा तंत्र को गति प्रदान की है। सन् 1850 तक भारत में गुरुकुल प्रथा चलती आ रही थी। परन्तु मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हुआ और भारत में कई गुरुकुल तोड़े गए और उनके स्थान पर कान्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए। 26 जनवरी, 1950 को भारत की जनता ने अपना संविधान स्वयं को निष्ठापूर्वक अर्पित किया। इस संविधान में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में शैक्षिक विकास के लिए कतिपय निम्नांकित प्रावधान किए गए।

1. स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षिक प्रयास

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। अनु. 45 में कहा गया है – “राज्य इस संविधान के प्रारंभ में दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बच्चों को चौदह वर्ष तक की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।” परन्तु वर्ष 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से प्रतिस्थापित करते हुये इसे मात्र छः वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं तक सीमित कर दिया। संविधान संशोधन के बाद अनु. 45 में कहा गया है कि “राज्य सभी बच्चों को उनकी आयु छः वर्ष होने तक शैशवपूर्व परिचर्या तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा।”
- निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा – 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जीवन के मूल अधिकार अनु. 21(क) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा का प्रावधान किया जायेगा। 86वें संशोधन के द्वारा ही संविधान के मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51(क) के अन्तर्गत माता-पिता अथवा अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया। अब माता-पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना संवैधानिक कर्तव्य है।
- अल्पसंख्यकों की शिक्षा – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार अनुदान अथवा सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं से भेद-भाव नहीं करेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों की शिक्षा संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों की रक्षा हेतु विशेष उपबन्ध किए गए। अनु. 46 में कहा गया है कि “राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।” संविधान में वर्णित इस अनुच्छेद से समाज के दलित, शोषित व कमजोर वर्गों को शिक्षा में पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे उनके शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें।
- धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता – भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत में अनेक धर्म और उनके अनुयायियों की संख्या भी पर्याप्त है। अतः संविधान में अनुच्छेद 25-28 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म में विश्वास करने,

धार्मिक कार्य करने व उनका प्रचार-प्रसार का अधिकार प्रदान किया गया है। अनु. 28 (1, 2 तथा 3) यह प्रावधान करता है कि "जो विद्यालय पूरी तरह से सरकारी राजकोष से चलाए जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। और जो विद्यालय सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं अथवा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनमें विद्यार्थी या उसके संरक्षक की स्वीकृति के बिना दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।" भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अतः संविधान में अल्प संख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

- स्त्रियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खण्ड 3 में राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 15 में खण्ड 4 जोड़ा गया, इसमें "राज्य को महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया।"
- हिन्दी भाषा का विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा – भारतीय संविधान में हिन्दी भाषा के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए अनुच्छेद 351 में कहा गया है – "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करें, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकें तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।" सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रान्तीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए अनु. 350-(क) में कहा गया है कि "प्रत्येक राज्य तथा राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्य वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति को यह स्वीकृति दी गई है कि वह निमित्त राज्य को उचित निर्देश दे।" निःसंदेह शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम माध्यम बच्चों की मातृभाषा ही हो सकती
- शैक्षिक अवसरों की समानता – भारतीय लोकतंत्र की मूलभाषा का सम्मान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 (2) में धर्म, जाति, मूल वंश, एवं भाषा की प्रवाह किए बिना शैक्षिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित की गयी। अनुच्छेद 29 (2) में कहा गया है कि "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि की सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।" अर्थात् किसी नागरिक के विरुद्ध राज्य द्वारा वित्त पोषित या सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता।

2. सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने यह कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा से आरम्भ किया।

• विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। परन्तु उच्च शिक्षा का स्तर निम्न होने और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भारतीय जनता में असन्तोष था। विश्वविद्यालयी शिक्षा के दोषों को दूर करने एवं उच्च शिक्षा को पुनः संगठित करने हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् व अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की सिफारिश स्वीकार कर भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 1948 को डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया। इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे। आयोग ने 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया जिसमें 207 संस्तुतियों की गई है। प्रतिवेदन 18 अध्यायों में विभक्त था। आयोग के शब्दों में – “हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुत्व की प्राप्ति के द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न हैं। अतः हमारे विश्वविद्यालयों में अनिवार्य इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षण होना चाहिए।” 39 आयोग ने निम्नांकित बिन्दुओं पर अपनी अनुशंसाएँ दी –

- भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा और अनुसंधान के उद्देश्य।
- विश्वविद्यालयों के विधान नियन्त्रण कार्य तथा क्षेत्र में आवश्यक व वांछनीय परिवर्तन।
- विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था।
- विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम।
- शिक्षण तथा परीक्षा के उच्च स्तर को बनाये रखना। 6. विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मानक। 7. विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम।
- भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन व ललित कलाओं के उच्च अध्ययन का प्रावधान।
- क्षेत्रीय अथवा अन्य आधारों पर विश्वविद्यालयों की आवश्यकता।
- उच्च अनुसंधान।
- विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा।
- अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वेतन तथा कार्य।
- छात्र अनुशासन व छात्रावास।
- अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं की समस्याएँ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)

भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। आयोग ने निम्नांकित सिफारिशें प्रस्तुत की – 1. 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। 2. सैकण्डरी शिक्षा के दो भाग होने चाहिए। 3. वस्तुनिष्ठ (डब्लू) परीक्षण-पद्धति को अपनाया जाए। 4. संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। 5. उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय (बतमैन इरमबज) रहे जो अनिवार्य रहे जैसे – गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि।

● राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66 –

शिक्षा के राष्ट्र की प्रगति का आधार मानते हुए शिक्षा आयोग ने लिखा है कि— “शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि इसे परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाए और इस प्रकार उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।”

● नवीन शिक्षा नीति 1986 –

अगस्त, 1986 “शिक्षा की चुनौती” नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया। जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियाँ दी और 1986 में भारत सरकार ने “नई शिक्षा नीति 1986” का प्रारूप तैयार किया।

● राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 –

यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा तथा कुछ सिद्धान्त व सिफारिशें प्रस्तुत की

● **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019–20 –**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दूसरी बार सरकार बनाने के पहले दिन नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में कई नए प्रस्ताव रखे गये हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019–20 भारत-केन्द्रित शिक्षा-व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को निरंतर एक न्यासंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।

संदर्भ

- शर्मा, आर.ए. (2010) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.सं. 523
- शर्मा, आर.ए. (2010) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल ऋतु आधार", लक्ष्मी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ.सं. 525 21. वहीं, पृ.सं. 216
- सलैक्स, शी.मै. (2008) : "शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य", रजत प्रकाशन, नई दिल्ली
- पाठक, के.पी. एवं शरदिन्दु, वी.पी. (2015) : "स्वामी विवेकानन्द एवं शिक्षा", अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
- शर्मा, आर.ए. (2010) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.सं. 533
- बन्दे (2017) : "प्लेटो का जीवन परिचय एवं शिक्षा दर्शन", बवजइन्न.वतह
- शर्मा, आर.ए. (2010) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.सं. 434
- शर्मा, रामनाथ एवं कुमार, गजेन्द्र (2006) : "शिक्षा दर्शन", अटलांटिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 124
- जोहरी, दिप्ती एवं कुमार, दिनेश (2016) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार", उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी प्रकाशन, नैनिताल, उत्तराखण्ड, पृ.सं. 235
- जोहरी, दिप्ती एवं कुमार, दिनेश (2016) : "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार", उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी प्रकाशन, नैनिताल, उत्तराखण्ड, पृ.सं. 322 32. वहीं, पृ.सं. 321
- कमलशील (2011) : "एनी बेसेन्ट के विचारों की प्रासंगिकता", मूल्य विमर्श, अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, मानवीय मूल्य अनुशीलन केन्द्र प्रकाशन, हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
- लोचन, संसार (2019) : "आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास", दंतसवर्षीय पद
- शर्मा, एम.सी. (2018) : "समकालीन भारत एवं शिक्षा", इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षापीठ, नई दिल्ली, पृ.सं. 25
- सिंह, विश्वविजया एवं नागदा, मांगीलाल (2005) : "भाई साहब डॉ. मोहन सिंह मेहता का व्यक्तित्व एवं कृतित्व", डॉ. मोहन सिंह मेहता मेमोरियल ट्रस्ट, उदयपुर, पृ.सं. 10